न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 443 /2023
वाद पत्र अं0 धारा 88 आर.टी.ए.

1. हरप्रीत सिंह पुत्र मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
2. नसीब कौर पत्नी मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

–वादीगण

बनाम्

1. मिठू सिंह पुत्र दलसिंह
2. हरमीत कौर पुत्री मिठू सिंह पत्नी मोहन सिंह
3. गुरमीत कौर पुत्री मिठू सिंह पत्नी सोहन सिंह
4. बेअन्त कौर पुत्री मिठू सिंह पत्नी बलदेव सिंह
5. सुखप्रीत कौर पुत्री मिठू सिंह पत्नी धन्ना सिंह
6. अनवीत कौर पुत्री मिठू सिंह पत्नी जसकरण सिंह

(क्रमांक 1 ता 6) जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

7. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

उपस्थित :–1. श्री राजेश बुडानिया –वकील वादीगण
2. श्री सुरेन्द्र सिंह सूच –वकील प्रति 1 ता 6

निर्णय

दिनांक :– 21.3.2024

वादीगण हरप्रीत सिंह वगैरा ने प्रतिवादीगण के विरूद्ध यह राजस्व वाद बाबत् घोषणा के तहत दिनांक 21/09/2023 को इस न्यायालय में पेश किया यह कि वादीगण व प्रतिवादीगण का पंजीयन पता व्यवहार प्रक्रिया सहिंता के प्रावधानों के अनुसार वही है जो वादपत्र के शीर्षक में दर्शाया गया है। कि वादी स 1 के पिता व वादीया स 2 के पति प्रतिवादी सं 1 के नाम चक न 6 एन.के.आर के ज.स 2071–2074 के खाता स 106/46 मे 3.352है कृषि भूमि दर्ज राजस्व रिकार्ड है। जिसकी प्रति सलग्न वादपत्र है। कि वादीगण व प्रतिवादी स 1 ता 6 एक ही परिवार के सदस्य है वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित भूमि प्रतिवादी स 1 की विरास्तन प्राप्त भूमि है। कि वादी स. 1 के पिता व वादीया स. 2 के पति प्रतिवादी सं 1 के नाम चक न 6एन.के.आर के ज.स 2071–2074 के खाता स 106/46 मे 3.352है कृषि भूमि दर्ज रिकार्ड है। वादी स 1 प्रतिवादी स 1 का पुत्र व प्रतिवादी स 2 ता 6 का भाई है व वादीया स 2 प्रतिवादी स 1 की पत्नी व प्रतिवादी स 2 ता 6 की माता है। वाद पत्र की चरण स 2 मे वर्णित भूमि का घरू विभाजन वादीगण व प्रतिवादीगण ने काफी समय पूर्व अच्छी मंदी अनुसार कर लिया था। मुताबिक घरू विभाजन प्रतिवादी स 1 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि अन्य खाता मे प्राप्त कर लिया है व प्रतिवादी स 2 ता 6 ने अपने हक व हिस्सा की भूमि का परित्याग वादीगण [illegible] ई.ब कर दिया है। प्रतिवादी स 1 ता 6 का अब उक्त खाता मे कोई कब्जा काश्त नही है। [illegible] वर्णित भूमि वादीगण के कब्जा काश्त मे है। इसलिए मुताबिक घरू [illegible] वादीगण खाते[illegible] काश्तकार घोषित करवाने के अधिकारी व दावेदार है। **मुताबिक घरू विभाजन प्रतिवादी स 1 [illegible] नाम चक न 6 एन.के.आर के ज.स 2071–2074 के खाता स 106/46 मे 3.352है दर्ज [illegible] भूमि मे से वादी स 1 को 1.834है व वादीया स 2 को 1.518है कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित कर उक्त खाता से प्रतिवादी स 1 नाम कलमजन करवाना चाहते है।** वादीगण इसी अनुसार घोषणा करवाने के अधिकारी व दावेदार है। कि वादीगण ने प्रतिवादीगण से कई बार निवेदन किया कि वादी को वादपत्र की चरण सं. 4 में दर्ज भूमि का हिस्सानुसार खातेदार काश्तकार मानकर इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड में अकंन करवा दो तो प्रतिवादीगण पहले तो टाल मटोल

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:27:19 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

करते रहा किन्तु बाद में पिछले सप्ताह वादीगण की बात मानने से कतई इन्कार हो गए बस यही वाद करण है।कि वाद पत्र बाबत घोषणा का हैं जो उचित 2/–रूपये के न्याय शुल्क पर पेश है अन्दर मियाद व माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार व श्रवणाधिकार में है। की प्रतिवादी संख्या 7 को लैण्ड होल्डर होने के कारण पक्षकार बनाया गया है। इनसे कोई अनुतोष नहीं चाहा गया है। **अतः** वादपत्र प्रस्तूत कर निवेदन है कि बाद तहकीकात कर वाद वादीगण निम्न प्रकार से डिक्री फरमाया जावें। **(क)** कि प्रतिवादी सं 1 के नाम चक न 6 एन.के.आर के ज.स 2071–2074 के खाता स 106/46 मे 3.352है दर्ज कृषि भूमि मे से वादी स 1 को 1.834है व वादीया स 2 को 1.518है कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रतिवादी स 1 नाम कलमजन किया जावे।

उक्त तथ्यों के आधार पर वादपत्र पेश होने पर सीगेदार की रिपोर्ट के बाद दावा दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 ने सहमति का ज्वाब दावा प्रस्तुत किया प्रतिवादी सं. 7 तहसीलदार राजस्व संगरिया का ज्वाब दावा पेश हुआ। जो शामिल पत्रावली किया गया। दोनों पक्षों में विवाद न होने के कारण तनकीयात न कायम कर वकील वादी को साक्ष्य वादी हेतू अवसर दिया गया। साक्ष्य वादी मे वादी स 1 ने शपथ पत्र आदेश 18 नियम 4 पेश किया गया जिसमें वादपत्र के तथ्यों को दर्षाया गया। तथा ज.बं चक न 6 एन.के.आर ज.स 2071–2073 के खाता सख्या 106/46 कृषि भूमि जो प्रदर्श 1 हैं। साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादीगण द्वारा कोई साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करना चाहते हैं। इसलिए साक्ष्य प्रतिवादी बंद की गई।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। बहस में वादीगण अभिभाषक ने कथन किया कि प्रतिवादी सं 1 के नाम चक न 6 एन.के.आर के ज.स 2071–2074 के खाता स 106/46 मे 3.352है दर्ज कृषि भूमि मे से वादी स 1 को 1.834है व वादीया स 2 को 1.518है कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रतिवादी स 1 नाम कलमजन किया जावे। प्रतिवादी के वकील द्वारा कोई ऐतराज नहीं किया गया। बहस में वादी के वादपत्र डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। साक्ष्य के समर्थन में वादीगण ओर प्रस्तुत दस्तावेज प्रदर्श 1 किये गए व विरासतन इन्तकाल का अवलोकर किया। बहस में वकील प्रतिवादीगण द्वारा वादी द्वारा प्रस्तुत किए जमाबन्दी प्रदर्श दस्तावेज 1 का विरोध नही किया। प्रतिवादी सं. 1 ता 6 का सहमति का जवाब दावा पेश हुआ। प्रश्नगत भूमि विरासतन भूमि हैं इसलिए वादीगण का वादपत्र स्वीकार किये जाने योग्य है।

–:: क्रियात्मक आदेश ::–

अतः वाद वादीगण उक्त विवेचन के आधार पर डिक्री किया जाता हैं कि प्रतिवादी सं 1 के नाम चक न 6 एन.के.आर के ज.स 2071–2074 के खाता स 106/46 मे 3.352है दर्ज कृषि भूमि मे से वादी स 1 को 1.834है व वादीया स 2 को 1.518है कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रतिवादी स 1 नाम कलमजन किया जाता है। पर्चा डिक्री अलग से जारी होकर पत्रावली फैसला शुमार नम्बर से कम होकर दाखिल [illegible] हो खर्चा पक्षकारान अपना–अपना अलग वहन करेगे।

नोटः– बैंक ऋण फक होने पर इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निर्णय आज दिनांक 21.3.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Ku
Meena
Date: 2024.04.26 11:27:19 IS
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

Web Copy - Not Official

डिक्री बमुकदमें ईब्तदाई
अ.आदेश 20 नियम 6–7 व्या.प्रक्रिया संहिता

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

पीठासीन अधिकारी :– राकेश कुमार मीना (आर.ए.एस.)
प्रकरण संख्या :– 443/2023
वाद पत्र अं.धारा :– 88 आरटीए

1. हरप्रीत सिंह पुत्र मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.
2. नसीब कौर पत्नी मिठू सिंह जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

–वादीगण

बनाम्

1. मिठू सिंह पुत्र दलसिंह
2. हरमीत कौर पुत्री मिठू सिंह पत्नी मोहन सिंह
3. गुरमीत कौर पुत्री मिठू सिंह पत्नी सोहन सिंह
4. बेअन्त कौर पुत्री मिठू सिंह पत्नी बलदेव सिंह
5. सुखप्रीत कौर पुत्री मिठू सिंह पत्नी धन्ना सिंह
6. अनवीत कौर पुत्री मिठू सिंह पत्नी जसकरण सिंह

} जाति जटसिख निवासी जण्डवाला सिंखान तहसील संगरिया जिला हनुमानगढ राज.

7. तहसीलदार राजस्व संगरिया

–प्रतिवादीगण

दिनांक :– 21.3.2024

यह राजस्व मुकदमा आज मुझ सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया के समक्ष वास्ते इनफिसाल कत्तई रोबरू हमारे बहाजरी श्री राजेश बुडानियां वकील वादीगण मिन जामिन मुदई व श्री सुरेन्द्र सिंह सूच वकील प्रतिवादी सं. 1 ता 6 मिन जानिब मुदायला पेश होकर हुक्म दिया जाता है व यह डिक्री दी जाती है कि प्रतिवादी सं 1 के नाम चक न 6 एन.के.आर के ज.स 2071–2074 के खाता स 106/46 मे 3.352है दर्ज कृषि भूमि मे से वादी स 1 को 1.834है व वादीया स 2 को 1.518है कृषि भूमि का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाकर उक्त खाता से प्रतिवादी स 1 नाम कलमजन किया जाता है।

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगे

नोटः– बैंक ऋण फक होने के बाद इन्तकाल दर्ज किया जावें।

निज......X......नल......X......मुब्लिक......X......निल......X......बाबत......X......निल......X...... खर्चा मुकदमें के मय शुद वा शरह फीसदी सालाना आज की तारीखा वसूलयाबी तक ......X...... अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तख्त एवं मुहर अदालत से आज दिनांक 21.3.2024 जारी किया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rakesh Kumar Meena
Date: 2024.04.26 11:27:19 IST
Reason: SelfAttested

(राकेश कुमार मीना)
सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी संगरिया

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official